निगम के सूखाताल स्थित बहुमंजिलीय कार पार्किंग स्थल को ठेके व्यवस्था के अन्तर्गत चलाये जाने हेतु निविदा शर्तेः-

निगम बहुमंजलीय कार पार्किंग स्थल (केवर्न रेस्टोरेन्ट सहित), पार्किंग की छत को छोड़ कर स्थल को 07 वर्षो हेतु किराये पर दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिससे सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं-

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 5,000.00 (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान दिनॉक 26.11.2020 सायं 5.00 बजे तक सूखाताल, नैनीताल स्थित प्रभारी पेट्रोल पम्प के कार्यालय/शॉपिंग काम्पलैक्स हल्द्वानी से प्राप्त किये जा सकते है।
2. बहुमंजलीय कार पार्किंग स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा।
3. बहुमंजलीय कार पार्किंग स्थल में किसी भी तहर की क्षति हो जाने पर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा तथा क्षतिपूर्ति की वसूली संचालनकर्ता से की जायेगी।
4. बहुमंजलीय कार पार्किंग स्थल में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए जिला प्रशासन एवं निगम द्वारा लागू नियमों का पालन किया जाना होगा।
5. निविदाएं निविदादाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के कार्यालय में दिनांक 27.11.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी।
6. तकनीकी बिड के साथ धरोहर धनराशि रूपया 2,00,000.00 (दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के नाम बना हो, प्रस्तुत किया जाना होगा। बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर धनराशि की मूल प्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य है।
7. निविदा फर्म/ठेकेदार को विगत् 03 वर्षो का I.T.R. संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
8. यह कि निविदा की न्यूनतम् राशि रूपया 40.00 लाख प्रतिवर्ष + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 निर्धारित की गयी है। उक्त धनराशि से अधिकतम राशि प्राप्त होने वाले निविदादाता की ही निविदा स्वीकार की जायेगी ।
9. निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1/- का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदा के साथ PAN एवं GSTIN पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. जमानत राशि जो कि सफल निविदादाता की निविदा में अंकित मासिक दर्ज किराये का वार्षिक मूल्य का 25 प्रतिशत होगा, जमानत राशि का ड्राफ्ट के रूप में प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम के नाम हो, जमा करना अनिवार्य है।
12. किराये की राशि में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात् 10 प्रतिशत की बढौत्तरी की जायेगी।
13. निविदा सूचना में दिये गये दिनांक 27.11.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय सूखाताल नैनीताल में स्थापित निविदा बॉक्स में डाली जानी अनिवार्य होगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. निविदा में उल्लिखित तथ्यों या संलग्न किये गये प्रपत्रों में त्रुटि/सही तथ्यों को अंकित न करने अथवा जान बूझकर तथ्यों को छिपाये जाने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी अथवा ऐसी सूचना बाद में संज्ञान में आने निस्पादित अनुबन्ध एवं कार्यादेश कर दिया जायेगा। उक्त निरस्तीकरण के फलस्वरूप कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को होने वाली क्षति की वसूली पूर्ण रूपेण फर्म/ठेकेदार से की जायेगी, जिसमें जमानत धनराशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित है।
15. निविदा की तकनीकी निविदा, एवं सभी संलग्न प्रपत्र फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

16. तकनीकी भाग में सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय भाग खोले जायेगे। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

17. संचालनकर्ता द्वारा कूड़े के निस्तारण की समस्त व्यवस्था अपने स्तर से की जानी होगी, अन्यथा परिसर पर अव्यवस्था एवं गंदगी पाये जाने पर रू0 10,000/- पैनल्टी देय होगी।

18. तकनीकी रूप में अर्हता पायी गयी निविदा के वित्तीय भाग में यदि निविदा की दरें स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होती तो निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। वित्तीय भाग में धनराशि के अतिरिक्त कुछ भी अन्य लिखना वर्जित है।

19. यदि कोई बहुमंजलीय कार पार्किंग का एरिया देखना चाहें, तो प्रभारी पेट्रोल पम्प सूखाताल नैनीताल से सम्पर्क कर सकता है। **सम्पर्क नं0 (7534001704)**

20. अनुबन्धित कार्य/ठेका निष्पादन या उससे सम्बन्धित किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा।

21. यह कि निविदादाता को निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो कि निविदा प्रकाशित होने की तिथि से छः माह की अवधि के अर्न्तगत बना हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. मासिक किराये हेतु आवंटी को/ आवंटन तिथि के 15 दिन के भीतर निर्दिष्ट समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होगी। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किराया दिया जाना आवश्यक होगा। विलम्ब होने की दशा ममें रू0 500/- प्रतिदिन दण्ड लगेगा एवं 25 दिन तक किराया न दिये जाने की दशा में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

23. निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर पार्किंग के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का असवैधानिक वस्तुयें या अन्य कोई व्यवसाय नहीं चलाया जायेगा तथा स्वीकृत निविदादाता किसी अन्य व्यक्ति को उक्त स्थल को किराये पर नहीं देगा।

24. ठेकेदार द्वारा स्थल में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा तथा स्थल का रख-रखाब स्थल की सफाई एवं रात्रि के समय समुचित प्रकाश की व्यवस्था का दायित्व निविदादाता का होगा एवं स्थल की सफाई व्यवस्था प्रतिदिन करवानी होगी।

25. यह कि पार्किंग स्थल से कोई वाहन अथवा वाहनों का सामान चोरी होने पर कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। वाहन को किसी भी प्रकार की क्षति होने की दशा में उससे सम्बन्धित व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन जायेंगे।

26. यह कि निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का प्रयोग नहीं किया जायेगा। पार्किंग स्थल पर वाहनों की धुलाई मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया जायेगा।

27. यह कि कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम के वाहनों को कार पार्किंग शुल्क से ठेकेदार द्वारा मुक्त रखा जायेगा।

28. यह कि कार पार्किंग जोन के बाहर किसी भी दशा में ठेकेदार द्वारा वाहन खड़े नहीं कराये जायेगे।

29. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के मध्य अनुबन्ध करना होगा। ठेकेदार को स्टाम्प एक्ट के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर स्वयं क्रय कर अनुबन्ध हेतु लाने होंगे। भविष्य में यदि स्टाम्प एक्ट के अनुसार प्रशासन/शासन को इस ठेके से सम्बन्धित कोई स्टाम्प शुल्क देय होगा तो इसकी भुगतान सफल निविदाकार द्वारा ही किया जायेगा।

30. किसी भी टैण्डर को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को होगा।

31. यह कि पार्किंग में वाहनों के किराये का निर्धारण प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल द्वारा किया जायेगा। किराये की वर्तमान दरो के सम्बन्ध में जानकारी हेतु प्रभारी पेट्रोल पम्प सूखाताल नैनीताल से सम्पर्क कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

32. ठेकेदार पार्किग शुल्क वसूल करेगा तथा पार्किंग दरों को पार्किंग स्थल पर बड़े साईन बोर्ड में प्रदर्शित करेगा। निर्धारित पार्किग शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वाहनों के किराये में वृद्धि भी कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा।

33. स्थल में विद्युत मीटर सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर लगाया जाना होगा तथा जल/विद्युत एवं अन्य समस्त टैक्सों का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

34. निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र– I (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था को निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अहर्ताओं का विवरण अंकित करना होगा तथा प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा) पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से लिफाफों में निविदाकर्ता अथवा संस्था का नाम व प्रपत्र– I व प्रपत्र– II का अंकन करते हुए दोनों ही लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर एक बड़े लिफाफे के बाहर से बहुमंजलीय कार पार्किंग स्थल सूखाताल हेतु निविदा शीर्षक अंकित कर व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय, कार पार्किग सूखाताल नैनीताल में निर्धारित तिथि 27.11.2020 समय अपरान्ह 1.00 बजे से पूर्व निविदा बॉक्स में डाला जाना होगा। निविदा हेतु नियत तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

35. निविदा में प्रतिभाग किये जाने वाले निविदादाता की तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाने पर वित्तीय निविदा प्रपत्र–II नहीं खोली जायेगी।

36. ठेकेदार द्वारा किसी भी दशा में गाड़ियों की धुलाई पार्किग/डीजल/मोबिलआयल पार्किग जोन में लीकेज होने पाये जाने की दशा में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि उक्त वाहन को वहां से हटा दें और पार्किंग जोन को स्वच्छ रखा जाए।

37. यह कि निविदादाता को अपना पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। निविदाप्रपत्र में निविदादाता को अपना फोन/मोबाईल नम्बर देना होगा।

38. यह कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल के ऐसे ठेकेदार/फर्म जिन्होने कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल की अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

39. यह कि पार्किग स्थल में बिना किसी सूचना के एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक वाहन खड़ा होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा पुलिस कोतवाली में लिखित सूचना वाहन स्वामी के उपलब्ध न होने पर देनी होगी। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

40. यह कि अधिकतम् संख्या में वाहनों को खड़ा करने हेतु इस प्रकार पार्किग करेंगे कि वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्किग स्थल पर खड़ा किया जा सके, इस उद्धेश्य की पूर्ति हेतु पुलिस द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

41. यह कि निविदा की धनराशि कम पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को पुनः निगम हित में निविदा आमंत्रित करने का अधिकार होगा। जिसके लिये निविदादाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

42. द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद का निस्तारण आर्बीटेशन/पंच निर्णय द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए प्रबन्ध निदेशक कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम नैनीताल आर्बीटेशन होंगे। और उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए स्वमान्य होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उलंघन करने पर बिना कारण बताये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका अधिकार प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को होगा।

हस्ताक्षरः ....

नाम/पता ....

....

दिनाँकः

निगम के सूखाताल स्थित कार पार्किंग स्थल को ठेके व्यवस्था के अन्तर्गत चलाये जाने हेतु निविदा

(तकनीकी निविदा)

1. फर्म / निविदादाता का नाम व पता : ....
   दूरभाष / फैक्स संख्या / ई–मेल पता : ....
   : ....
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन संख्या ....
   (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) : ....
3. आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card : ....
   की छायाप्रति संलग्न करें।) : ....
4. विगत 3 वर्षो का आयकर रिटर्न : ....
   की छायाप्रति संलग्न करें।) : ....
   : ....
5. निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपया 5,000.00(जी.एस.टी.सहित)
   5000.00 का रसीद : ....
   तकनीकी निविदा के लिफाफे में : ....
   रखकर जमा किया जायेगा। : ....
6. धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट / ....
   एफ.डी.आर. का विवरण (तकनीकी भाग ....
   के साथ संलग्न करें) ....
   : ....
7. तकनीकी निविदा के साथ सक्षम : ....
   अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र : ....
   जो छः माह की अवधि के अन्दर का बना : ....
   हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ ....
   प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। : ....
8. आधार कार्ड की प्रति ....
9. **रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1/– का रेवेन्यू टिकट के साथ**

उपरोक्तानुसार तकनीकी बिड के साथ मांगे गये सभी संलग्नक एवं अन्य सभी वांछित प्रपत्र तकनीकी बिड के साथ निविदा बॉक्स में 27.11.2020 को अपरान्ह 1.00 बजे से पूर्व डाले जाने अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरः ....

नाम/पता ....

..

.. ।

दिनाँकः

<u>निगम के सूखाताल स्थित कार पार्किग स्थल को ठेके व्यवस्था के अन्तर्गत चलाये जाने हेतु निविदा</u>

प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा)

1)	**मासिक किराये की धनराशि (अंकों में):–** **(रू0 ....+ जी0एस0टी0 अतिरिक्त)** **(शब्दों में):– (..)**

नोटः– निविदा का न्यूनतम वार्षिक किराया रू0 40.00 लाख + जी0एस0टी0निर्धारित है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मॉगा जायेगा, तो उसको उपलब्ध कराऊॅगा/करायेंगे। मैंने/हमने सम्बन्धित निविदा प्रपत्र की सम्पूर्ण शर्ते पढ़ ली हैं और मैं/हम इनको स्वीकार करता/करते हैं।

प्रस्तावक/आवेदन के हस्ताक्षर